

भाग्यंद कुमार

कानून

DR शीलिया मली

धारा - 88 Rt

प्र.सं. - 68/22

03.08.2023 -

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व उनके नियुक्त अधिवक्ता को कितनी ही मर्तबा आवाजें लगाये जाने के उपरान्त भी वादी स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने हेतु हाजिर नहीं आये।

अतः वादी का वादपत्र, वादी पक्ष की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



03/08/2023  
DR शीलिया मली  
कानून

DR शीलिया मली  
कानून